

सदस्यों को देय वेतन भत्ते एवं सुविधाएँ (30.12.2021 से)

राजस्थान विधान सभा सचिवालय,

जयपुर ।

विधान सभा में निर्वाचित हो जाने के बाद सदस्य कुछ सुविधाएँ पाने के अधिकारी हो जाते हैं। मुख्य रूप से, सदस्यों को जो सुविधाएँ प्रदान की गई हैं, वे वेतन और भत्ते, यात्रा, चिकित्सा, आवास, टेलीफोन संबंधी हैं। ये सुविधाएँ राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियाँ एवं पेन्शन) अधिनियम, 1956 एवं इसके अध्यक्षीन विरचित नियमों के अन्तर्गत आती हैं।

वेतन :

प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान 40,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से वेतन पाने का हकदार है।

निर्वाचन क्षेत्र भत्ता :

प्रत्येक सदस्य अपनी कालावधि के दौरान 70,000/- रुपये प्रतिमाह की दर से निर्वाचन क्षेत्र भत्ता पाने का हकदार है।

गृह किराया भत्ता :

जिन सदस्यों को सरकारी आवास गृह आवंटित नहीं हैं और वे जयपुर में अपने स्वामित्व की या किराये की आवास सुविधा में रह रहे हैं, इस आशय का प्रमाण-पत्र पेश करने पर 50,000/- रुपये प्रतिमाह गृह किराया भत्ता प्राप्त करने के हकदार हैं।

टेलिफोन भत्ता :

प्रत्येक सदस्य को 2,500/- रुपये प्रतिमाह टेलिफोन भत्ता संदत्त किया जाएगा।

दैनिक भत्ता :

प्रत्येक सदस्य अपनी पदावधि के दौरान जिस स्थान पर विधान सभा का सत्र अथवा उसकी किसी समिति की बैठक हो रही हो, वहाँ उपस्थित रहने की अवधि के दौरान राज्य के भीतर 2000/- रुपये प्रतिदिन की दर से तथा राज्य के बाहर 2500/- रुपये प्रतिदिन की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार है।

समिति की बैठकों के मामले में एक कलैण्डर माह में 15 दिवस तक की सीमा में दैनिक भत्ता देय है किन्तु विधान सभा सत्र की बैठकों पर दिवसों की पाबन्दी नहीं है। विधान सभा सत्र के तुरन्त पहले दो दिवस एवं सत्र के तुरन्त पश्चात् एक दिवस तक की और किसी समिति की बैठकों से तुरन्त पहले और बाद में एक-एक दिवस तक की अवधि में अथवा माननीय अध्यक्ष के आदेशानुसार विधान सभा सदस्य के रूप में उसके कर्तव्य से संबंधित अन्य कोई कार्य करने के लिए इस प्रकार उपस्थित रहने के लिए भी विधान सभा सदस्य दैनिक भत्ता पाने का हकदार है।

आनुषांगिक प्रभार :

यदि कोई सदस्य रेल द्वारा या बस द्वारा यात्रा करे तो उसे 6 पैसे प्रति किलोमीटर की दर से आनुषांगिक व्यय देय होगा।

यात्रा सुविधाएँ :

रेल द्वारा

सदस्य और उस सदस्य के साथ अन्य व्यक्ति, यदि कोई हो, सहित रेल, वायुयान, पोत या स्टीमर में किसी भी श्रेणी में भारत के राज्यक्षेत्र के भीतर किसी वित्तीय वर्ष में 3.0 लाख रुपये की सीमा तक किराये का पुनर्भरण प्राप्त कर सकेगा। यदि किसी वित्तीय वर्ष में प्राप्त पुनर्भरण की रकम 3.0 लाख रुपये से कम है तो शेष रकम आगामी वित्तीय वर्ष या वर्षों में अग्रनीत की जायेगी और वह सदस्य अपनी पदावधि की समाप्ति से पूर्व किसी भी समय ऐसी रकम का उपयोग कर सकेगा।

सड़क मार्ग द्वारा

(क) सदस्य द्वारा निजी वाहन से यात्रा करने पर रु. 10.00 प्रति कि.मी. की दर से राशि देय होगी।

(ख) प्रत्येक सदस्य को एक पास दिया जाता है जिससे वह और उसके साथ जाने वाला अन्य व्यक्ति राजस्थान राज्य पथ

परिवहन निगम की बस सेवा जिसमें डीलक्स और वातानुकूलित बसें भी सम्मिलित हैं, से किसी भी समय तथा किसी भी मार्ग पर जिस पर वे बसें चलती हों, निःशुल्क यात्रा करने का हकदार है।

चिकित्सा सुविधाएँ :

राजस्थान विधान सभा के सदस्य वैसी ही चिकित्सा सुविधाओं के हकदार होंगे जैसी कि 'राजस्थान सिविल सेवा(चिकित्सा परिचर्या) नियम, 2021' के अधीन राज्य सरकार के अधिकारियों के लिए अनुमत्य है। इसके अनुसार चिकित्सा सुविधाएँ राजस्थान सरकार स्वास्थ्य स्कीम (RGHS) के अन्तर्गत प्रदान की जायेगी।

आवासीय सुविधाएँ :

जयपुर में निम्नांकित स्थानों पर सदस्यों को प्रतिमाह प्रभार्य किराये पर निवासीय सुविधा उपलब्ध है :-

- | | |
|------------------------------------|----|
| 1. सदस्य आवास गृह (बी तथा सी टाइप) | 28 |
| 2. विधायकपुरी में फ्लेट्स | 28 |
| 3. गांधी नगर | 38 |

फर्नीचर सुविधा :

जयपुर में सरकारी आवास अथवा निजी/किराये के आवासों में रहने वाले सदस्य निःशुल्क 80,000/- रुपये मूल्य तक का फर्नीचर का स्वप्रमाणित बीजक प्रस्तुत कर पुनर्भरण की सुविधा।

दूरभाष सुविधा :

जयपुर में सदस्यों की आवासीय कॉलोनी स्थित स्वागत कक्षों में (कॉमन) टेलीफोन लगाये गये हैं जहां से माननीय सदस्यगण स्थानीय कॉल कर सकते हैं जिनके लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

अन्य सुविधायें :

(क) प्रत्येक सदस्य उसी श्रेणी से जिससे वह यात्रा करने का हकदार है, प्रत्येक सत्रावधि में एक बार अपने सामान्य निवास स्थान से जयपुर तक तथा जयपुर से वापस अपने सामान्य निवास स्थान तक अपने पति/पत्नि (जो भी हो) को सरकारी खर्चे पर लाने, ले जाने का हकदार है।

(ख) सदस्यों के लिए राजस्थान हाउस, नई दिल्ली, राज्य के सर्किट हाउस तथा डाक बंगलों में ठहरने की निम्न सुविधाएँ हैं :-

(I) **राजस्थान हाउस** : सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित नई दिल्ली स्थित राजस्थान हाउस में ठहरने की सुविधा एक समय में लगातार 8 दिन, माह विशेष में 16 दिन तथा सम्पूर्ण वर्ष में अधिकतम 80 दिन तक के लिए उपलब्ध है।

(II) **सर्किट हाउस** : सदस्यों को राज्य सरकार द्वारा संचालित और जयपुर को छोड़कर राजस्थान में स्थित सर्किट हाउसों में ठहरने की यह सुविधा किसी सदस्य को किसी विशेष सर्किट हाउस में और किसी महीने में अधिक से अधिक सात दिन तक के लिए उपलब्ध है।

(III) **डाक बंगले** : सदस्य राजस्थान राज्य में स्थित सरकारी डाक बंगलों में उन्हीं शर्तों पर ठहर सकते हैं जो शर्तें राज्य सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों पर लागू होती हैं।

(ग) प्रत्येक सदस्य को राज्य सरकार के राजस्व विभाग द्वारा सचिवालयिक सहायक के रूप में वेतन शृंखला 1 से 9 तक का एक कार्मिक उपलब्ध करवाया जायेगा या विकल्प के रूप में सचिवालयिक सहायक के बदले सदस्य 30,000/- रुपये प्रति माह प्राप्त कर सकेंगे।

(घ) सदस्यों को उनके निर्वाचन क्षेत्र में भ्रमण हेतु जिला पूल से एक माह में अधिकतम पन्द्रह दिवस के लिए वाहन उपलब्ध करवाया जाता है या वाहन नहीं लेने पर अधिकतम 45,000/- रुपये प्रति माह जिला कलेक्टर कार्यालय से प्राप्त कर सकेंगे।

(ङ) प्रत्येक सदस्य अपने विधान सभा क्षेत्र में एक वर्ष में रुपये 5,00,00,000/- (अक्षरे रुपये पाँच करोड़) तक के जनोपयोगी परिसम्पत्तियों के निर्माण कार्य का प्रस्ताव जिला ग्रामीण विकास अभिकरण में प्रेषित कर सकता है, जो अभिकरण की स्थापित प्रक्रियानुसार कार्यान्वित किये जाते हैं।